अनुसूची 21–फारम सं॰ 113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 6313/2019 आवेदन सं0 6831/2019

चूँकि श्री Bibhu Kumar

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिका में ता॰ 2004 से ता॰ till dated तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

..... चला है अत: Nil (शून्य)

क्र॰ सं॰	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र॰ निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza – Sagma Plot no – 518 Khata no – 61 Tauji no – 5292 Thana no – 23 Area – 6010 Sq. ft.							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक–पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): [illegible]

(पदनाम): [illegible]

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): [illegible]

(पदनाम): [illegible]

कार्यालय: [illegible]

तारीख: 18-11-19

अवर निबंधक पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 18-11-19

टिप्पणी:–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) ईस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 6535 दिनांक 18-11-19

आवेदक श्री [illegible]

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा [illegible]

का उनके पत्र संख्या 0 दिनांक 0 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Danapur

18-11-19